न0 65/2023 तारीखरजू:- 18/7/23

उनवान:- केशव कुमार बनाम रामेश्वर वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
18/7/23	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण की प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को दिनांक 17.08.2023 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 1646/82/0.34, 80/0.54, 80/1605/0.18, 81/0.20 है0 स्थित ग्राम डौरावली तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथारिथति बनाए रखें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17.08.2023 को पेश हो। (गौरव कुमार मि...) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला करौली
17/8/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी न0 1 लगा0 3 की ओर से सुनील कुमार जिन्दल एड0 ने दावे की पत्रावली मे उपस्थिति दर्ज कराई वास्ते वकालतनामा पेश करने दिनांक 26.9.23 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:23 IST
Reason: SelfAttested

...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

...नांक	फर्द अहकाम
	को दिलाई गई। वास्ते बहस दिनांक 30.4.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
30/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उप०। वास्ते बहस दिनांक 29.5.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
29/5/24	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनाक 25.6.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
25/6	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं। बार 2 आवाज दिलाई गई इसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र बरआयी मिसिल अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:23 IST
Reason: SelfAttested